REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227306 CG-DL-E-01062021-227306

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1949] No. 1949] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2102(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम (2016 का 11) की धारा 15 की उप-धारा (2) और (3) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (3) तथा धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस राय से कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक अथवा सामयिक है, स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2020 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

 स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2020 में, खण्ड 1 में, उप-खंड (2) में शब्द और अंक "1 जून" के स्थान पर शब्द और अंक "16 जून" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 6/1/2017-बीआईएस (भाग 2)]

निधि खरे, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या का. आ. 205 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्या का. आ. 3513 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2020 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 1st June, 2021

S.O. 2102(E).—In exercise of the power conferred by sub section (3) of Section 14 read with subsection (2) and (3) of Section 15 and sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and subsection (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient to so to do in the public interest, hereby makes the following order, further to amend the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, namely:-

1. (i) This order may be called the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Amendment) Order, 2021.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, in clause 1, in sub section (2), for the words and figure "1st day of June", the words and figure "16th day of June" shall be substituted.

[F. No. 6/1/2017-BIS (Part 2)]

NIDHI KHARE, Addl. Secy.

Note:- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, subsection (ii) vide number S.O. 205(E) dated 15th January, 2020 and subsequently amended vide number S.O. 3513(E) dated 9th October, 2020.